उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19—सी, विधानसभा मार्ग
लखनऊ, उत्तर प्रदेश—226001

सूचना/विज्ञप्ति

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों का
चयन परिणाम

संख्याःपीआरपीबीः अनु—6—प—1/2015 दिनांकःमार्च 16 ,2015

अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना), उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्याः डीजी—चार—106(266)2006 दिनांकित 18—05—2010 तथा पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना) उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्याः डीजी—चार—110(327)2009 दिनांकित 25—10—2010 के द्वारा प्राप्त अधियाचन के आधार पर बोर्ड द्वारा सूचना/विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबी— एक—1/2011 दिनांकित 19—05—2011 प्रकाशित कराते हुए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 3698 एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के 312 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

2— उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती—2011 की चयन प्रकिया के अन्तर्गत समूह परिसंवाद हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्राप्त कुल अंकों की श्रेष्ठता के आधार पर आरक्षण के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार उप निरीक्षक ना0पु0 के 3698 पदों (अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के 1849, अन्य पिछडा वर्ग के 998, अनुसूचित जाति के 777 एवं अनुसूचित जनजाति के 74 पदों) तथा प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के 312 पदों (अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के 156, अन्य पिछडा वर्ग के 84, अनुसूचित जाति के 66 एवं अनुसूचित जनजाति के 06 पदों) के सापेक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 02 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 05 प्रतिशत एवं यथा स्थिति महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत श्रेणीवार क्षैतिज आरक्षण की रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है।

3— उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती—2011 के इस चयन में अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में 1926, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 1015, अनुसूचित जाति श्रेणी में 836 एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 24 अभ्यर्थी चयनित हुये है। इनमें 344 महिलायें, 50 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं 21 भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। विभिन्न श्रेणियों मे उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण भूतपूर्व सैनिक एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के 209 पद रिक्त रह गये हैं, जिन्हें आगामी भर्ती के लिए अग्रेनीत किया गया है।

4— यह परिणाम चिकित्सीय परीक्षण और कागजातों/चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के अधीन तथा रिट याचिका संख्याः 67782/2014 साकेत कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्याः 734/2015 संजीव कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा इससे सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अन्तिम निर्णय के अधीन है।

5— यह चयन परिणाम बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपना चयन परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर अपना अनुक्रमांक व जन्मतिथि डालकर देख सकते है।

6— उप निरीक्षक ना0पु0 के 3698 पदों के सापेक्ष लम्बवत एवं क्षैतिज आरक्षण के अधीन अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कटआफ मार्क्स इस प्रकार है:—

लम्बवत श्रेणी	पुरूष	भूतपूर्व सैनिक	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	महिला
अनारक्षित (सामान्य)	332.9167	271.5000	289.1667	239.2500
अन्य पिछड़ा वर्ग	321.2500	—	240.0833	—
अनुसूचित जाति	283.9167	—	250.2500	—
अनुसूचित जनजाति	235.4167	—	—	—
अनुसूचित जनजाति की रिक्ति में चयनितअनुसूचित जाति के अभ्यर्थी का कटआफ	278.5000	—	—	—

7— प्लाटून कमाण्डर पीएसी के 312 पदों के सापेक्ष लम्बवत एवं क्षैतिज आरक्षण के अधीन अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कटआफ मार्क्स इस प्रकार है:—

लम्बवत श्रेणी	पुरूष	भूतपूर्व सैनिक	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित
अनारक्षित (सामान्य)	330.8333	—	269.0833
अन्य पिछड़ा वर्ग	320.5833	—	—
अनुसूचित जाति	281.5000	—	—
अनुसूचित जनजाति	—	—	—
अनुसूचित जनजाति की रिक्ति में चयनित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी का कटआफ	278.1667	—	—

8— संगत सेवा नियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दो या अधिक अभ्यर्थी द्वारा बराबर—बराबर अंक प्राप्त करने की स्थिति में उनकी श्रेष्ठता का विनिश्चय मुख्य लिखित परीक्षा के उच्चतर अंक, अधिमानी अर्हता, अधिक आयु व प्रथम नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षर के कम में किया गया है। अतः अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ पर समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयनित होना आवश्यक नहीं है।

9— यद्यपि इस चयन परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाये जाने पर इस त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा।

10— यह चयन परिणाम सर्वसाधारण के लिए सूचित किया जा रहा है। अतः जो सूचनाएं इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

16/03

(पद्मजा चौहान)
अपर सचिव, भर्ती/परीक्षा नियंत्रक,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ ।